

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत
बईजलास:- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
:- श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

-:: वादी :-

बनाम

-:: प्रतिवादीगण :-

महेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह

भंवरुखां पुत्र रहमान वगैरह

मु0न0 :रा0वा0स0: 10/2021

राजस्व वाद बाबत बेदखली, कब्जा जमीन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183, 188 व 187ख
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-.....


.व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री तुलसाराम माली, अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री इस आशय की सादिर की जाती है कि वकील वादी/वादी द्वारा न्यायालय के प्रदत्त आदेश तकमील नहीं की गई। वकील वादी/वादी द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की तकमील नहीं करने से वादी का वादपत्र अंतर्गत धारा 183, 188 व 187 ख RTA अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04/12/2024 को जारी

किया गया।

मोहर



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला-ब्यावर(राज0)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00		स्टाम्प वकालतनामा	6.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	11.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	14.00		मिजान:-	6.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।